

नम्बर व
अहकम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम रायला तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद में अन्तिम डिक्री : :

[आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0]

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 50/2013 राजस्व वाद

- अनवान
1. मोहनलाल पिता भैरूलाल सुथार उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
 2. प्रेमलाल पिता भैरूलाल सुथार उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

— (वादीगण)

- बनाम
1. सोहनलाल पिता भैरूलाल सुथार उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
 2. शंकरलाल पिता भैरूलाल सुथार उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
 3. अरविन्द कुमार पिता भैरूलाल सुथार उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
 4. रमेश कुमार पिता भैरूलाल सुथार उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
 5. नरेश कुमार पिता भैरूलाल सुथार उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
 6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजीयात — (प्रतिवादी गण)

उपस्थित –

1. पक्षकारान उभयपक्ष उपस्थित
2. परोकार सरकार..... विपक्षी कम 06

दिनांक– 29.06.2018

राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम रायला में पक्षकारान उभयपक्ष तथा राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेड़ा शिविर के दौरान उपस्थित। आज दिनांक 29.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं। वादीगण का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण सहमति से इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम रायला पटवार क्षेत्र रायला तहसील बनेड़ा स्थित खतौनी संख्या 1808 कित्ता 10 कुल रकबा 19-01 बीघा भूमि का शिविर में तैयार कराया जाकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है—

1. सोहन पिता भैरूलाल सुथार सा.देह (विपक्षी संख्या 01)

आ0न0	रकबा
69	01-06
2490/2	01-00
2443/6	00-06
2482/6	00-01
कुल 04	रकबा 02-13 बीघा

2 मोहन पिता भैरूलाल सुथार सा.देह (वादी संख्या 01)

(2)

आ0न0	रकबा
69/1	01-06
2490/1	01-01
2443/5	00-06
2482/5	00-01
कुल 04	रकबा 02-14 बीघा

3 प्रेम पिता भैरूलाल सुथार सा.देह (वादी संख्या 02)

आ0न0	रकबा
69/2	01-06
2494/3	00-04
2491	00-13
2490	00-04
2443/4	00-06
2482/4	00-01
कुल 06	रकबा 02-14 बीघा

4 शंकर पिता भैरूलाल सुथार सा.देह (प्रतिवादी संख्या 02)

आ0न0	रकबा
69/3	01-06
2493/2	00-02
2494/2	00-10
2495/2	00-09
2443/3	00-06
2482/3	00-01
कुल 06	रकबा 02-14 बीघा

5 अरविन्द पिता भैरूलाल सुथार सा.देह (विपक्षी संख्या 03)

आ0न0	रकबा
69/4	01-05
2493/1	00-01
2494/1	00-11
2495/1	00-10
2443/2	00-05
2482/2	00-02
कुल 06	रकबा 02-14 बीघा

6 रमेश पिता भैरूलाल सुथार सा.देह (विपक्षी संख्या 05)

आ0न0	रकबा
69/5	01-05
2493	00-01
2494	00-11

कार्यकारी

2495	00-10
2443/1	00-05
2482/1	00-02
कुल 06	रकबा 02-14 बीघा

7 नरेश पिता भैरूलाल सुथार सा.देह (विपक्षी संख्या 04)

आ0न0	रकबा
69/6	01-05
2496	01-02
2443	00-05
2482	00-02
कुल 04	रकबा 02-14 बीघा

8 शामलात यथावत

आ0न0	रकबा
2492	00-04
कुल 01	रकबा 00-04 बीघा

उपरोक्तानुसार भूमि में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 के मध्य क्रम संख्या 1 से 8 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 29.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 के मा मुकाम रायला में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रेषित हो।

(उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा
बनेडा (भीलवाड़ा))